–: आदेश :–

इस वाद में माण्डू थाना काण्ड संख्या 287/2010 दिनांक 26.12.2010 धारा 414/120 बी0, भा0द0वि0, धारा 30(ii) कोल माईन्स एक्ट, धारा 33 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छापामारी के उपरान्त 5000 टन कोयला की विमुक्ति अपील पर विचार किया जा रहा है। 04.02.2012 को राज्यसात वाद संख्या–7/2012 में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा 14.05.2012 को पारित अंतिम आदेश में जप्त कोयला विमुक्त करने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान न्यायालय में वर्तमान वाद दायर किया गया है।

मामले में बहस सुना गया। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह बताया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिविजन वाद संख्या–429/2012 में दिनांक 28.08.2012 को 5000 टन में से 2393.29 एम0टी0 कोयला विमुक्त करने का आदेश दिया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा भी मापी के पश्चात् 2393.29 एम0टी0 कोयला के जप्ती की सम्पुष्टि की गई थी।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में जप्त सम्पूर्ण कोयला विमुक्त किया जा चुका है। इस आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।